भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 40

18.07.2022 को उत्तर के लिए

प्रतिपूरक वनीकरण योजना हेतु धनराशि

40. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2019, 2020 और 2021 के दौरान देश में विभिन्न विकास परियोजनाओं और औद्योगीकरण के कारण नष्ट हुए वन क्षेत्र का ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में वनों की कटाई के क्षेत्र का ब्यौरा क्या है तथा इसका हेक्टेयर में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी राशि जारी की गई है और योजना की शुरुआत से प्रत्येक राज्य में योजना के अंतर्गत कितना वन क्षेत्र सृजित किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) मंत्रालय का अधीनस्थ संगठन - भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, वर्ष 1987 से द्विवार्षिक आधार पर देश के वन आच्छादित क्षेत्र का आकलन कर रहा है और उसके निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किया जाता है। वन आच्छादित क्षेत्र का आकलन, गहन भू-सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्रीय डेटा से समर्थित सुदूर संवेदन पर आधारित एक वाल-टू-वाल मानचित्रण की प्रक्रिया है। मंत्रालय द्वारा आईएसएफआर-2021, दिनांक 13 जनवरी, 2022 को प्रकाशित की गई नवीनतम रिपोर्ट है। आईएसएफआर-2021 के अनुसार, वन आच्छादित क्षेत्र में गत आकलन अर्थात् आईएसएफआर-2019 की तुलना में कुल 1540 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है। केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निर्धारित प्रावधानों के तहत वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान करती है। गत तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) के दौरान कुल 55430.13 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए अपवर्तित करने की अनुमति प्रदान की गई है। अपवर्तित क्षेत्र का श्रेणी-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) निर्वनीकरण, विभिन्न कारकों से होता है जिनमें अतिदोहन, अत्यधिक चराई, शहरीकरण और अन्य प्रयोजनों से अपवर्तन आदि शामिल हो सकते हैं। मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) के द्विवार्षिक संस्करण में व्यापक रूप से खुले वन आदि सहित वनों के प्रकार के साथ-साथ वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का जिला-वार और राज्य-वार ब्यौरा दिया गया है। डेटा का यह संग्रह, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न स्कीमों के तहत वनीकरण के लिए संभावित क्षेत्र को लक्षित करने के लिए स्रोत के रूप में कार्य करता है।

अपवर्तित वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनीकरण किया जाता है। इसके अलावा, देश में निर्वनीकरण की समस्या का समाधान करने तथा वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में सुधार और वृद्धि करने के लिए मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसेकि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) के तहत वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यह मंत्रालय, जन भागीदारी के माध्यम से स्कूल नर्सरी और शहरी वानिकी कार्यक्रमों में भी सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी, कार्पोरेट निकायों आदि के द्वारा भी पौधरोपण किए जाते हैं।

बहु-विभागीय प्रयासों के फलस्वरूप, विकास की गति को बनाए रखने के साथ-साथ निर्वनीकरण की समस्या का निराकरण करके पर्यावरण को संरक्षित करने के क्षेत्र में अच्छे परिणाम अर्जित हुए हैं, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि वन आच्छादित क्षेत्र स्थिर हुआ है और कुछ वर्षों से निरंतर बढ़ रहा है। नवीनतम आईएसएफआर 2021 के अनुसार, देश के कुल वन आच्छादित क्षेत्र में गत सात वर्षों (आईएसएफआर 2015 से आईएसएफआर 2021 तक) में 12,294 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है। गत सात वर्षों (आईएसएफआर 2015 से आईएसएफआर 2021 तक) के दौरान देश के वन आच्छादित क्षेत्र और गत आकलनों के संबंध में वन आच्छादित क्षेत्र में परिवर्तन का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :-

(क्षेत्र वर्ग किमी. में)

आईएसएफआर वर्ष	**कुल वन आच्छादित क्षेत्र**	**गत आईएसएफआर के संबंध में वन आच्छादित क्षेत्र में परिवर्तन**	**प्रतिशत में परिवर्तन**
आईएसएफआर 2015	7,01,495	-	-
आईएसएफआर 2017	7,08,273	6,778	0.21
आईएसएफआर 2019	7,12,249	3,976	0.56
आईएसएफआर 2021	7,13,789	1,540	0.22

भारत सरकार के स्तर पर निर्वनीकरण संबंधी सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए अपेक्षित क्षेत्र और क्षेत्र, जिस पर वर्ष 1980-2022 के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण किया गया, का ब्यौरा **अनुबंध-।।** में दिया गया है।

****

अनुबंध-।

'प्रतिपूरक वनीकरण योजना हेतु धनराशि' के संबंध में दिनांक 18.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु भूमि के उपयोग के लिए अनुमोदित श्रेणी-वार क्षेत्र दर्शाता विवरण					
श्रेणी : सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		**अवधि के दौरान : 01/04/2018 to 31/03/2021**			
क्र.सं.	**श्रेणी**	**2018-2019**	**2019-2020**	**2020-2021**	**कुल योग**
		अनुमोदित क्षेत्र	**अनुमोदित क्षेत्र**	**अनुमोदित क्षेत्र**	**अनुमोदित क्षेत्र**
1	पहुंच मार्ग	2.68	12.35	30.55	45.58
2	बोरहोल पूर्वेक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00
3	नहर	0.00	0.00	5.89	5.89
4	रक्षा	4159.09	187.44	2601.08	6947.61
5	औषधालय/अस्पताल	41.37	0.00	1.10	42.47
6	पेयजल	17.37	234.92	513.78	766.06
7	अतिक्रमण	0.00	1.25	0.00	1.25
8	वन ग्राम रूपांतरण	285.70	0.00	210.00	495.70
9	जल-विद्युत	116.85	4633.78	593.49	5344.11
10	उद्योग	181.28	12.51	43.27	237.06
11	सिंचाई	5371.39	2813.77	1542.04	9727.20
12	खनन	5471.49	3413.84	2393.62	11278.94
13	ऑप्टिकल फाइबर केबल	15.73	91.47	121.67	228.86
14	अन्य	525.70	1276.89	1430.45	3233.04
15	पाइपलाइन	0.00	18.67	96.43	115.10
16	उत्खनन	13.79	6.69	2.59	23.07
17	रेलवे	236.84	612.87	1049.79	1899.51
18	पुनर्वास	0.00	0.00	42.50	42.50
19	सड़क	2084.66	2655.95	5267.18	10007.79
20	स्कूल	12.79	0.18	0.03	13.00
21	सौर ऊर्जा	0.00	0.00	0.01	0.01
22	सब स्टेशन	0.00	12.98	45.42	58.40
23	ताप	10.70	46.51	38.10	95.32
24	पारेषण लाइन	974.01	1484.70	2281.76	4740.48
25	ग्राम विद्युत	35.78	11.92	3.19	50.89
26	पवन ऊर्जा	30.00	0.00	0.30	30.30
कुल योग		**19587.21**	**17528.69**	**18314.23**	**55430.13**
स्रोत : https://parivesh.nic.in					

अनुबंध-।।

'प्रतिपूरक वनीकरण योजना हेतु धनराशि' के संबंध में दिनांक 18.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए अपेक्षित क्षेत्र और क्षेत्र, जिस पर वर्ष 1980-2022 के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण किया गया, का ब्यौरा

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अपवर्तन के लिए अनुमोदित प्रस्ताव के साथ-साथ प्रस्तुत की गई स्थल-विशिष्ट स्कीम के अनुसार अपेक्षित वनीकरण**	**स्थल-विशिष्ट स्कीमों के अनुसार राज्य में किया गया वनीकरण**
1.	अंडमान एवं निकोबार	2,302.17	347.77
2.	आंध्र प्रदेश	39,083.00	35,595.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	36,066.67	17,700.24
4.	असम	9,389.20	8,286.95
5.	बिहार	4,816.20	4,017.51
6.	चंडीगढ़	110.80	109.88
7.	छत्तीसगढ़	33,890.85	29,253.19
8.	दिल्ली	157.00	157.00
9.	गोवा	2,426.00	2,110.61
10.	गुजरात	92,216.38	86,269.00
11.	हरियाणा	13,625.00	9,718.00
12.	हिमाचल प्रदेश	27,926.37	26,080.80
13.	जम्मू एवं कश्मीर	30,172.00	26,822.00
14.	झारखंड	48,674.51	30,146.60
15.	कर्नाटक	24,870.24	24,129.20
16.	केरल	59,486.25	58,652.53
17.	मध्य प्रदेश	2,43,776.59	2,34,552.28
18.	महाराष्ट्र	1,04,174.00	97,711.00
19.	मणिपुर	6,202.59	6,190.00
20.	मेघालय	1,085.42	907.85
21.	मिजोरम	2,586.78	804.00
22.	ओडिशा	73,373.00	63,048.00
23.	पंजाब	18,533.00	16,852.63
24.	राजस्थान	38,323.00	33,921.54
25.	सिक्किम	5,486.72	5,142.08
26.	तमिलनाडु	3,797.42	3,306.60
27.	तेलंगाना	32,811.77	25,389.56
28.	त्रिपुरा	5,498.75	5,498.75
29.	उत्तर प्रदेश	27,412.37	23,223.37
30.	उत्तराखंड	55,644.91	48,225.33
31.	पश्चिम बंगाल	3,485.24	2,697.31
	कुल	**10,47,404.20**	**9,26,866.58**